महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली लागू : अधिसूचना जारी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा के तारतम्य में आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित की जाती है। कार्यालयीन अवधि में भोजन अवकाश पूर्व की भांति रहेगा। यह आदेश अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

तेज रफ्तार टाटा एस वाहन ने कार को मारी ठोकर,मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टाटा एस वाहन ने कार को पीछे से जोरदार ठोकर मारी दी। इस हादसे की शिकायत कार मालीक ने तेलीबांधा थाने में की गई है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि वे अपनी स्वीफ्ट कार से मरीन ड्राईव की ओर जा रहा था। इस दौरान तेलीबांधा एक्सप्रेस वे विनोद किराना दुकान के सामने टाटा एस चालक तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर कार को पीछे से ठोकर मारकर एक्सिडेंट कर दिया। जिससे कार का पिछला दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। और टाटा एस वाहन के खिलाफ केस दर्ज किया है।

तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ के 2 बालक समेत 9 बालिकाओं का किया गया रेस्क्यू

रायपुर (आरएनएस)। कांकेर जिले के 11 बच्चों का तमिलनाडु से रेस्क्यू किया गया है। इनमें 2 बालक समेत 9 बालिकाएं हैं। ये सभी 11 बच्चे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं। सभी मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु गए थे।तमिलनाडु में रेलवे पुलिस ने लगभग 3 महीने पहले सभी का रेस्क्यू किया था। लेकिन, 2 राज्यों के बीच फंसी कागजी कार्रवाई और ट्रेन नहीं चलने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ नहीं ला पाए थे। बुधवार को तमिलनाडु प्रशासन की 8 सदस्यीय टीम सभी को कांकेर लेकर पहुंची। जहां इन बच्चों को कांकेर जिला प्रशासन के सौंपने की कार्रवाई चल रही है।

मोबाइल चोर पुलिस गिरफ्त में, कई मोबाइल सेट सहित अन्य सामान बरामद

राजनांदगांव/मोहला (आरएनएस)। 31 जनवरी को थाना मोहला में प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28-29 की दरम्यानी रात्रि उसकी मोबाइल दुकान का ताला तोडक़र अज्ञात व्यक्ति द्वारा कई मोबाइल व अन्य सामान चोरी कर लिया है । पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश पात्रे के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अम्बागढ़ चौकी के मार्गदर्शन में जब तफ्तीश शुरू हुई तो मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बम्हनी थाना मोहला में एक व्यक्ति मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है पुलिस ने घेराबंदी कर जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने चोरी करना स्वीकार किया। सतीश कुमेटी पिता सुबेलाल कुमेटी द्वारा चोरी के मोबाइल व अन्य सामान बरामद करवाये गए जिनकी कुल कीमत लगभग 65400 रुपये बताई गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में ज्यूडिशियल रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की हुई सजा

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिला न्यायालय ने हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दंतेवाड़ा निवासी सागर यादव उर्फ रोशन ने युवक नितेश की हत्या 24 सितंबर 2018 को मंदिरपारा के मां दंतेश्वरी गणेश उत्सव समिति के लोग गणेश विसर्जन करने के दौरान हत्या कर दी थी, लोगों ने हत्या आरोपी को पकड़ लिया था। इसके बाद यह मामला न्यायालय में चल रहा था। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

कोरोना काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने वाले मनरेगा के 16 साल पूरे

छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 30.6 लाख परिवारों के 60.19 लाख श्रमिकों को मिला था का

रायपुर (आरएनएस)। ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी देने वाला 'मनरेगा' 2 फरवरी को अपने क्रियान्वयन के 16 साल पूरे कर रहा है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से 'मनरेगा' यानि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अमलीजामा पहनाने की शुरूआत की थी। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2007-08 में दूसरे चरण में इसमें 130 और जिलों को शामिल किया गया। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 को इसे देश के बांकी ग्रामीण जिलों तक विस्तारित किया गया। 'नरेगा' के नाम से शुरू इस योजना की व्यापकता और प्रभाव के मद्देनजर इसे ग्राम स्वराज के परिदृश्य में देखते हुए 2 अक्टूबर 2009 को इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया।

छत्तीसगढ़ में मनरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखण्ड के अर्जुनी ग्राम पंचायत से हुआ। राज्य में भी इस योजना का विस्तार तीन चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन 16 में से 11 जिलों में इसे लागू किया गया। इनमें बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा जिले शामिल थे। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से चार और जिलों रायपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा

और महासमुंद को योजना में शामिल किया गया। तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2008 से दुर्ग जिले को भी इसमें शामिल किया गया। अभी प्रदेश के सभी 28 जिलों में मनरेगा प्रभावशील है।

छत्तीसगढ़ में पिछले 16 सालों में मनरेगा का सफर शानदार रहा है। वर्ष 2006-07 में 12 लाख 57 हजार परिवारों को रोजगार प्रदान करने से शुरू यह सफर पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30 लाख 60 हजार से अधिक परिवारों तक पहुंच चुका है। प्रदेश में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 30 लाख 60 हजार परिवारों के 60 लाख 19 हजार श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से काम मिला था। इसके एवज में श्रमिकों को अब तक का सर्वाधिक 3493 करोड़ 34 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी अब तक दस महीनों में (अप्रैल-2021 से जनवरी-2022 तक) 26 लाख 28 हजार परिवारों के 49 लाख 28 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। कोरोना काल में मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी प्रदान की। कोरोना संक्रमण को रोकने लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौर में इसने ग्रामीणों को लगातार रोजगार मुहैया कराया और उनकी जेबों तक पैसे पहुंचाए। बीते दो वर्षों में मनरेगा श्रमिकों को 5721 करोड़ 50 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान किया गया है। वर्ष 2020-21 में 3493 करोड़ 34 लाख रूपए और चालू वित्तीय वर्ष में 2228 करोड़ 16 लाख रूपए मजदूरों के हाथों में पहुंचाए गए हैं। इसने कोरोना काल में ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। इसकी वजह से विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही। मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में पिछले चार वर्षों में 57 करोड़ 53 लाख मानव दिवस से अधिक का रोजगार सृजन किया गया है। इस दौरान वर्ष 2018-19 में 13 करोड़ 86 लाख, 2019-20 में 13 करोड़ 62 लाख और 2020-21 में 18 करोड़ 41 लाख मानव दिवस रोजगार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी अब तक 11 करोड़ 65 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। योजना की शुरूआत से लेकर अब तक वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक 18 करोड़ 41 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है, जो प्रदेश के लिए नया रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ में 2020-21 में राष्ट्रीय औसत 52 दिनों के मुकाबले प्रति परिवार औसत 60 दिनों का रोजगार दिया गया। वर्ष 2019-20 में प्रति परिवार औसत 56 दिनों का और 2018-19 में 57 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी-2022 तक औसतन प्रति परिवार 44 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अभी दो महीने शेष हैं। मनरेगा के तहत पिछले चार वर्षों में प्रदेश में कुल 16 लाख 86 हजार से अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराया गया है। इस दौरान 2018-19 में चार लाख 28 हजार 372, वर्ष 2019-20 में चार लाख 18 हजार 159 और 2020-21 में छह लाख 11 हजार 988 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक दो लाख 27 हजार 566 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

क्रेडा विभाग का अनोखा कारनामा, अग्रिम भुगतान लेकर ड्यूल पंप देना भूल गया विभाग

0 जिला प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे सवाल,एक साल से पंचायतों से गायब हैं लाखों के ड्यूल पम्प, 14 वें वित्त की राशि में हेरफेर करने क्रेडा की मंशा पर फिरा पानी

बीजापुर (आरएनएस)। अक्षय उर्जा विकास अभिकरण बीजापुर में ड्यूल पंप स्थापना के नाम पर बड़े पैमाने पर करोड़ों रूपयों के हेर फेर की कोशिश का सनसजीखेज मामला प्रकाश में आया है। क्रेडा विभाग द्वारा पंचायतों में चौदहवें वित्त की राशि से लोगों को सोलर पंप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने ड्यूल पंप की स्थापना की जानी थी। कई पंचायतों में इस कार्य को पूर्ण भी कर लिया गया, परंतु जिले में ऐसे दर्जनों पंचायतें अभी भी शेष है, जहां पर पंचायतों से अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बावजूद पिछले एक साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, परंतु आज पर्यंत तक लाखों की लागत से स्थापित होने वाले सोलर ड्यूल पंपों का कोई नामों निशान नहीं हैं, इसका खुलासा तब हुआ जब एक पंचायत सचिव ने पंचायत के खाते में मौजूद राशि का निरीक्षण किया तो उनके खाते से 11 लाख 36 हजार रूपये गायब थे और ये पैसे ड्यूल पंप स्थापना के नाम से क्रेडा विभाग को भुगतान किए गए थे, बावजूद ड्यूल पंप पंचायत से नदारद है।

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 दिसंबर महीने में जिले के प्रत्येक पंचायत से ड्यूल पंप स्थापना के नाम से पंचायत के चौदहवें वित्त की राशि क्रेडा विभाग के खाता क्रमांक 920010040885368 शाखा दंतेवाड़ा में प्रति ड्यूल पंप की राशि 5 लाख 68 हजार रूपए के हिसाब से पंचायतों में लगने वाले प्रत्येक ड्यूल पंप के पूरे पैसे क्रेडा विभाग को अग्रिम भुगतान कर दिया गया था, परंतु 2020 से लेकर आज पर्यंत तक उन पंचायतों में सोलर ड्यूल पंप की स्थापना ही नहीं की गई और क्रेडा विभाग द्वारा इन ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य विनायक टेडस दुर्ग को दिया गया था और इसी फर्म को भैरमगढ़ विकासखं में करीब 12 कार्य दिए गए थे, जिनमें से सभी कार्यों के अग्रिम भुगतान के बावजूद इन पंचायतों में आज पर्यंत तक सोलर ड्यूल पंप की स्थापना नहीं की गई। पूर्ण राशि अग्रिम लेने के बावजूद ग्राम पंचायत इतामपारा, मदपाल, बिरियाभूमि और हल्लूर में आज भी इन पंपों की स्थापना नहीं की गई, जबकि पुजारी कांकेर में चार ड्यूल पंपों की राशि क्रेडा को देने के बावजूद अब भी एक ड्यूल पंप पंचायत से गायब है।

सचिव के नोटिस से हुआ खुलासा- इस मामले में कार्यपालन अभियंता क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय दंतेवाड़ा को ग्राम पंचायत इतामपारा के सचिव द्वारा एक नोटिस भी भेजा गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इतामपारा में सोलर ड्यूल पंप की स्थापना हेतु क्रेडा को कार्य एजेंसी नियुक्त कर 11 लाख 36 हजार रूपए की राशि 8 दिसंबर 2020 को पीएफएमएस के माध्यम से विभाग के खाता क्रमांक 920010040885368 आईएफसी कोड यूटिआईबी 0003251 शाखा दंतेवाड़ा को आंतरित की गई है। राशि आंतरित होने के एक वर्ष बाद भी उस कार्य को विभाग द्वारा नहीं किया गया। जिसके चलते ग्राम सभा आयोजित कर उक्त कार्य को निरस्त करते हुए ग्राम विकास के हैंडपंप खनन कार्य में उस राशि का व्यय करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

सुने मकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। टिकरापारा थाना क्षेत्रांतर्गत मठपुरैना स्थित मकान में चोरी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया संगीता चैधरी ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मठपुरैना टिकरापारा में रहती है। प्रार्थिया 31 जनवरी की रात्रि अपने घर के हॉल में अकेली सोयी थी। इसी दौरान रात्रि लगभग 03:30 बजे बर्तन गिरने की आवाज होने पर प्रार्थिया उठी एवं दरवाजा खोलकर बाहर देखी तो पडोस में रहने वाले संतोष ध्रुव एवं वैभव साहू नाम के लडक़े घर के उपर छत की ओर भाग रहे थे। प्रार्थिया अकेली होने के कारण छत में नहीं गई। प्रार्थिया कमरे में जाकर देखी तो कमरे का पूरा सामान अस्त-व्यस्त था एवं पर्स में रखा नगदी रकम 10,000 रू0, 01 नग सोने का अंगूठी, टूल किट एवं सूटकेस नहीं था। संतोष ध्रुव एवं वैभव साहू प्रार्थिया के घर के कमरे अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गए थे। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 83/22 धारा 457, 380, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी संतोष ध्रुव एवं वैभव साहू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की टूल बॉक्स जप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

भैरमगढ एरिया कमेटी के नक्सली मिलिशिया सदस्य ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत भैरमगढ एरिया कमेटी के तोयनार पंचायत अंर्तगत ग्राम तडकेल के नक्सली मिलिशिया सदस्य कुम्मा उर्फ कुटा उरसा ने पुलिस उप महानिरीक्षक (परि) सीआरपीएफ विनय कुमार सिंह, दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी, सुरेन्द्र सिंह कमाण्डेट 231 बटालियन सीआरपीएफ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा राजेंद्र जायसवाल, जयन पी सैमुअल द्वितीय कमाण्ड अधिकारी 231 सीआरपीएफ एवं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री आशा

रानी के समक्षसमक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

आत्मसमर्पित नक्सली कुम्मा उर्फ कूटा उरसा पिता लख्खू उरसा उम्र 25 वर्ष जाति मुरिया निवासी तडकेल थाना मिरतुर जिला बीजापुर के द्वारा वर्ष 2012 में नक्सली बंद के दौरान ग्राम केतुलनार से पिनकोण्डा जाने वाले मुख्यमार्ग पर ग्राम पिनकोण्डा के पास निर्मित पुलिया को तोडफोड कर क्षतिग्रस्त करने की घटना में शामिल था। इसके अलावा थाना मिरतुर के अपराध क्रमांक -01/2015 धारा 302, 34, 201 भादवि पंजीबद्ध है।

आज और कल रद्द रहेगी कई ट्रेनें

रायपुर(आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव एवं कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन को पानीजॉब रेलवे स्टेशन से जोडऩे का कार्य के लिए नॉन इंटरलोकिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके कारण कई ट्रेनों का परिचालन 3 एवं 4 फरवरी को प्रभावित रहेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव एवं कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन में विधुतीकरण का कार्य एवं पानीजॉब रेलवे स्टेशन से जोडऩे का कार्य के लिए नॉन इंटरलोकिंग का कार्य 03 से

04 फरवरी तक किया जाएगा। इस फलस्वरूप कुछ गाडिय़ो का परिचालन प्रभावित एवं इस खण्ड में चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है।

रद्द होने वाली गाडिय़ां:

दुर्ग से चलने वाली 08741 दुर्ग-गोंदिया मेमू स्पेशल, गोंदिया से चलने वाली 08743 गोंदिया-ईतवारी मेमू स्पेशल ट्रेन, ईतवारी से चलने वाली 08744 ईतवारी-गोंदिया मेमू स्पेशल ट्रेन, गोंदिया से चलने वाली 08742 गोंदिया-दुर्ग मेमू स्पेशल ट्रेन, गोंदिया से चलने वाली 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल ट्रेन, झारसुगुड़ा से चलने वाली 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल ट्रेन, बरौनी एवं गोंदिया से चलने वाली 15231/15232 बरौनी- गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन गोंदिया एवं दुर्ग के बीच एवं रायगढ़ एवं गोंदिया से चलने वाली 12069/12070 रायगढ़- गोंदिया- रायगढ़ जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन गोंदिया एवं दुर्ग के बीच रद्द रहेगी ।

महाराष्ट्र में बंधक श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए कलेक्टर की पहल

लातूर के डीएम को दस श्रमिकों की सकुशल घर वापसी के लिए लिखा पत्र

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले के पाली क्षेत्र के लगभग 10 मजदूरों के महाराष्ट्र के लातूर जिले में बंधक के रूप में काम करने की सूचना को कलेक्टर रानू साहू ने गंभीरता से लिया है। सूचना मिलते ही तत्काल कलेक्टर ने सभी श्रमिकों की सकुशल घर वापसी के लिए महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले के जिला दण्डाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र की प्रति महाराष्ट्र राज्य के श्रम आयुक्त को भी भेजकर तत्काल जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह कलेक्टर साहू ने किया है।

उल्लेखनीय है कि हरदीबाजार तहसील के ग्राम भादा कछार के निवासियों ने उनके क्षेत्र के 10 लोगों से महाराष्ट्र राज्य के लातूर में स्थित गन्ना कटाई ठेकेदार के यहां काम करने जाने की सूचना मिली है। ग्रामवासियों ने स्थानीय विधायक मोहितराम केरकेट्टा को इस संबंध में आवेदन भी देकर बंधक लोगों को छुड़ाने का अनुरोध किया है। ग्रामवासियों ने बताया है कि रतनपुर तहसील के लिम्हा गांव के निवासी हेमंत कुमार ने भादा कछार के 10 मजदूरों को गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र के ठेकेदार के पास भेजा है। लातूर जिले के

ग्राम एलोरी के ठेकेदार ज्योतिराम कुंडलीक सेवाले ने इन मजदूरों को गन्ना कटाई के काम में लगाया है। ठेकेदार कुंडलीक सेवाले लातूर जिले के थाना भागा क्षेत्र के मारूति महराज शक्कर कारखाने के लिए गन्ना कटाई के काम से संबद्ध हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि यहां गये क्षेत्र के श्रमिकों ने ठेकेदार द्वारा परेशान किये जाने और मारपीट कर जबरदस्ती काम कराने की शिकायत दूरभाष पर की है। ठेकेदार श्रमिकों को मजदूरी भी नहीं दे रहा है और बंधक बनाकर काम करा रहा है। बंधक मजदूरों ने इस बारे में कोरबा जिले के श्रम विभाग के अधिकारियों से भी दूरभाष पर बात कर अपनी व्यथा सुनाई है और उन्हें जल्द से जल्द सकुशल वापस ले जाने का अनुरोध किया है। श्रमिकों की परेशानी और उनके परिजनों में चिंता का भाव देखकर कलेक्टर ने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लिया है और लातूर जिले के जिला दण्डाधिकारी को पत्र लिखकर कोरबा के इन 10 श्रमिकों के सकुशल घर वापसी का आग्रह किया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

चिटफंड कंपनी संचय इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का फरार डायरेक्ट ओडिशा से गिरफ्तार

0 डायरेक्टर अरविन्द मिश्रा वर्ष 2017 से था फरार

0 अधिक ब्याज का लालच देकर 13 निवेशको से 25 लाख से अधिक राशि जमा कराकर किया गया धोखाधडी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप चिटफंड कंपनियों में निवेश किये गये राशि को चिटफंड कंपनी एवं उनके डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर उनके चल अचल संपत्ति की कुर्की कर राशि वापस निवेशको को वापस किये जाने के आदेशानुसार श्री बद्रीनारायण मीणा (भापुसे) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग के निर्देशन में श्री संजय ध्रुव (रापुसे) अति पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) , श्री अनंत साहू अति . पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं नोडल अधिकारी चिटफंड , जिला दुर्ग एवं श्री जितेन्द्र कुमार यादव (भा.पु. से .) नगर पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग , श्री नसर सिद्धिकी उप पुलिस अधीक्षक काईम जिला दुर्ग के मार्गदर्शन में चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टरो की गिरफ्तारी एवं उनके चल अचल संपत्ति की कुर्की कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक 318/2017 धारा 420 , 34 भादवि , छ.ग. के निक्षेपको के हितो का सरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं 3 , 4 , 5 धन परिचालन अधिनियम अंतर्गत चिटफंड कंपनी संचय इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के डायरेक्टरो द्वारा जिले के 13 निवेशको से अधिक व्याज का लालच देकर राशि जमा कराकर लगभग 25,00,000 रू . से अधिक राशि धोखाधडी किया गया था । प्रकरण में पूर्व में डायरेक्टर प्रवीण मोहंती को भुनेश्वर उडिसा से गिरफ्तार किया गया था । प्रकरण के 02 आरोपी फरार थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से टीम गठीत कर भुनेश्वर उडिसा रवाना किया गया था । उडिसा पहुंचकर पुलिस टीम के द्वारा लगातार 03 दिनो तक फरार डायरेक्टर अरविन्द मिश्रा के घर की गोपनीय तरीके से की जा रही थी निगरानी आरोपी के संबंध में सुराग मिलने पर कि वह अपने एम . जी . हेक्टर कार से घूम रहां है कार तथा आरोपी अरविन्द मिश्रा का वेरीफाई कर पकड़ा गया । आरोपी को गिरफ्तार कर भुनेश्वर उडिसा से दुर्ग छ.ग. लाया गया है । गिरफ्तार डायरेक्टर अरविन्द मिश्रा के चल अचल संपत्ति चिन्हित किया जाकर शीघ्र कुर्की हेतु शासन की ओर भेजी जा रहीं है । जिससे निवेशको को निवेश की गई राशि वापस की जा सके ।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा , निरीक्षक गौरव तिवारी , सउनि अशोक साहू , प्रधान आरक्षक चन्द्रशेखर बंजीर , आरक्षक अमर नायक , अलाउद्दीन खान , शहबाज खान , निखिल साहू , रवि बिसाई की सराहनीय भूमिका रही ।

गिरफ्तार (डायरेक्टर) आरोपी- अरविन्द मिश्रा पिता स्व . रजनीकांत मिश्रा उम्र 34 साल पता प्लाट नंबर 558 रूद्रपुर थाना पहाल जिला खूरदा भुनेश्वर उडिसा।

चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता- चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जो पुलिस ने लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है इसी मामले को लेकर आज दुर्ग एसएसपी बद्रीनारायण मीणा ने प्रेस वार्ता लेकर एक मामले का खुलासा किया।